फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रेक मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गणेशलाल — विपक्षी : श्रीमती उदीबाई

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम — पत्रावली संख्या : 26/19

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 09.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प जेवाणा में पेश हुई। वादी व प्रतिवादी सं. 2 उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 फौत होना बताया है जिसके वारिस वादी व प्रतिवादी सं. 2 ही हैं, पृथक से नाम कायमी की आवश्यकता नहीं हैं। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश किया। प्रतिवादी सं. 3 राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश कर वादी को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्ष को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में हरिराम जी के नाम पर दर्ज हैं। हरिराम जी की मृत्यु हो चुकी है, जिसका विरासत व गोदनामें का नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया हैं। वादी प्रतिवादी सं. 1 का गोदीना पुत्र हैं। खातेदार हरिराम व प्रतिवादी सं. 1 उदीबाई द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामें से वादी गणेशलाल को दिनांक 22.05.2015 को गोद रखा। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भी स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वाद को डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। हरिराम व प्रतिवादी सं. 1 उदीबाई की मृत्यु हो चुकी है, जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कर रखे हैं। खातेदार हरिराम के वादी व प्रतिवादी सं. 2 मांगीबाई के अलावा कोई विधिक वारिस नहीं होना बताया हैं। अतः वादी रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर हरिराम जी की भूमि में अपना नाम हिस्से अनुसार दर्ज कराने का अधिकारी हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा की आराजी नम्बर 185, 187, 192, 194, 198, 202 कुल किता 7 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 188, 191 किता 2 रकबा 13 बिस्वा भूमि में खातेदार हरिराम के बजाय वादी व प्रतिवादी सं. 2 के हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 13:12:47 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री गणेशलाल मुतबन्ना हरिराम गाडरी निवासी जेवाणा तह. मावली।

....................वादी

बनाम

1. श्रीमती उदीबाई पत्नी हरिराम गाडरी निवासी जेवाणा तह. मावली। **फौत**
2. श्रीमती मांगीबाई पुत्री स्व. हरिराम गाडरी निवासी जेवाणा तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 26/19 (वाद) GCMS No. – 2019/00053

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा की आराजी नम्बर 185, 187, 192, 193, 194, 198, 202 कुल किता 7 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 188, 191 क़िता 2 रकबा 13 बिस्वा भूमि में खातेदार हरिराम के बजाय वादी व प्रतिवादी सं. 2 को हिस्सेनरा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 13:12:47 IST
Reason: SelfAttested

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.11.2021 को जारी की गई।